

SLC/Sidhi



पश्चिम मध्य रेलवे

कार्यालय,
उप मुख्य अभियंता/निर्माण-1
जबलपुर

दिनांक 07/05/18..

क्र०.

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति जिला सीधी (म०प्र०)

विषय:- रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अधिनियम 2006 के नियम- 2008 के तहत जिला स्तरीय समिति से सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रीवा-सीधी-सिंगरौली योजना के अन्तर्गत सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सीधी जिले के कुछ भाग पर वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के अन्तर्गत किया जाना है। वन भूमि निम्नानुसार है:-

जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र	ग्राम पंचायत	कक्ष क्र.	प्रभावित रकवा (हे.में.)	प्रभावित कुल रकवा (हे.में.)
सीधी	सीधी	बहरी		PF 946	2.72	26.50
				PF 932	16.30	
				PF 942	7.48	

अतः निवेदन है कि उक्त वन भूमि में विस्थापित होने वाली आदिम जाति जनजाति के संबंध में वन अधिकार अधिनियम- 2008 में तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। ताकि विषयांकित परियोजना हेतु वांछित वन भूमि की व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए परियोजना कार्य को अविलंब पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सीधी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, आदिवासी विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर